न्यायालय अपरजिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : ओमप्रकाश बिश्नोई, आर0ए0एस0

पंचायत निगरानी प्रार्थना पत्र सं. 05/2015

प्रार्थी–

मगाराम पुत्र जवाराराम जाति कुम्हार निवासी खोखसर तहसील बायतु जिला बाड़मेर

बनाम

अप्रार्थीगण–

1. सरपंच, ग्राम पंचायत खोखसर, तहसील गिड़ा जिला बाड़मेर
2. खुशालाराम पुत्र मूलाराम जाति कुम्हार निवासी खोखसर तहसील गिड़ा जिला बाड़मेर

निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 विरूद्ध पट्टा संख्या 34 दिनांक 15.05.2004 जो अप्रार्थी सं. 2 के नाम ग्राम पंचायत खोखसर द्वारा जारी किया गया।

उपस्थिति :–

1. श्रीराजेन्द्र शर्मा, अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. श्री प्रेम प्रजापत, अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 2 की ओर से उपस्थित।
3. अप्रार्थी सं 1 बावजूद नोटिस तामील अनुपस्थित होने से एकपक्षीय।

निर्णय

दिनांक : 22/02/2021

1. प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य यह है कि अप्रार्थी सं. 1 ग्राम पंचायत खोखसर द्वारा अप्रार्थी सं. 2खुशालारामके पक्ष मे राजस्थान पंचायतीराज नियम, 1996 के नियम 156 के तहत बातचीत द्वारा बेची गई ग्राम खोखसरमे ग्राम पंचायत की आबादी भूमि का विक्रय विलेख सं. 34 दिनांक 15.05.2004 जारी किया गया [illegible] खण्ड का नाप एवं क्षेत्रफल पट्टा के संलग्न अनुसूची मे वर्णित अनु[illegible] 924 वर्गगज दर्शाया गया है। ग्राम पंचायत खोखसरद्वारा [illegible] को जारी करने मे राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के प्रावधानों की पालना नही किये जाने से उक्त पट्टे की सत्यता, अवैधानिकता, अनियमितता एवं अपूर्णता के पहलु पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bishnoi
Date: 2021.06.29 18:01:33 IST
Reason: SelfAttested

अपर कलक्टर बाड़मेर (ए.डी.एम.)

राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 97 के तहत जांच करते हुए अपास्त करने हेतु यह निगरानी प्रार्थना पत्र इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर होकर अप्रार्थीगण को जवाब एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करने हेतु जरिये नोटिस तलब किया गया।

2. प्रार्थीकी ओर सेअधिवक्ता द्वारानिवेदन किया है कि ग्राम पंचायत खोखसर द्वारा राजस्थान पंचायतीराज नियम, 1996 मे विहित प्रावधानों की पालना किये बिना ही जारी किया गया है जो निरस्त योग्य है। राजस्थान पंचायतीराज नियमों में पट्टे जारी करने बाबत भूखण्ड की अधिकतम सीमा 300 वर्गगज निर्धारित है जबकि अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष में हजारों वर्गफीट का पट्टा जारी किया गया हैं। अप्रार्थी सं. 2 को जिस भूमि का आवासीय पट्टा जारी किया गया हैं वह आबादी भूमि नहीं होकर गोचर भूमि खसरा नम्बर 1043 हैं इस तथ्य की अप्रार्थी सं. 1 द्वारा जांच किये बिना ही आलौच्य पट्टा जारी किया गया हैं। इसके अलावा ग्राम पंचायत द्वारा आलौच्य पट्टा जारी करने से पूर्व किसी प्रकार की सार्वजनिक आपत्ति आमंत्रित किये जाने का नोटिस प्रकाशित नहीं कराया हैं और न ही सर्वे इत्यादि किया गया हैं। माननीय उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गोचर–ओरण भूमि पर किसी प्रकार का पट्टा जारी नहीं करने एवं आवंटन नहीं करने के निर्देश दिये गये हैं किन्तु इन निर्देशों के बावजूद अप्रार्थी सं. 1 ने अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष आलौच्य पट्टा जारी किया गया हैं जो निरस्त योग्य हैं। अप्रार्थी सं. 1 द्वारा अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष में जारी पट्टा अन्तर्गत भूखण्ड की कीमत मात्र 200 रूपये आकलन करते हुए विक्रय पत्र जारी किया गया हैं जबकि इतना बड़ा भूखण्ड मात्र 200 रूपये में कैसे विक्रय किया जा सकता हैं। इस समस्त कार्यवाही से इस बात का संदेह प्रकट होता हैं कि अप्रार्थी सं. 1 ने अप्रार्थी सं. 2 को नाजायज फायदा पहुंचाने की गरज से यह पट्टा विधि विरूद्ध जारी किया गया हैं जो खारिज किये जाने योग्य हैं। अप्रार्थी सं. 2 ने कुछ समय पूर्व ओरण भूमि पर निर्माण सामग्री डालकर निर्माण कार्य प्रारम्भ किया तथा प्रार्थी के भूखण्ड मे हस्तक्षेप करने का प्रयास किया इस पर प्रार्थी द्वारा सिविल न्यायालय के समक्ष सिविल वाद प्रस्तुत किया तब

अपर कलक्टर बाड़मेर (ए.डी.एम.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bishnoi
Date: 2021.06.29 18:01:33 IST
Reason: SelfAttested

अप्रार्थी सं. 2 ने अपने भूखण्ड का आलौच्य पट्टा प्रस्तुत किया तथा प्रार्थी को इस तथ्य की जानकारी हुई। इस प्रकार अप्रार्थी सं. 2 द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर उक्त आलौच्य पट्टा विलेख जारी करवाया गया हैं जो निरस्त योग्य हैं।अतः प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत यह निगरानी प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष में जारी पट्टा सं. 34 दिनांक 15.05. 2004 को निरस्त करने का आदेश प्रदान करावें।

3. अप्रार्थी सं. 2 की ओर से अधिवक्ता ने जवाब मे निवेदन किया कि ग्राम पंचायत खोखसर द्वारा अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष मे जारी किया गया पट्टा संख्या 34 दिनांक 15.05.2004 पूर्णतया विधि सम्मत है जो राजस्थान पंचायतीराज नियम, 1996 मे बताये गये नियमो की पालना करते हुए जारी किया गया है। विवादित आवासीय भूमि ग्राम पंचायत खोखसर की आबादी भूमि थी जिस पर अप्रार्थी सं. 2 कोबातचीत के द्वारा ग्राम पंचायत द्वारा उक्त पट्टा विलेख नियम 156के तहत जारी किया गया है। प्रार्थी द्वारा अनाधिकृत रूप से अप्रार्थी सं. 2 के पट्टे वाली भूमि को हड़पने की नीयत से हस्तक्षेप करने की कोशिश की गई हैं तथा सिविल न्यायालय में निषेधाज्ञा का वाद दायर किया किन्तु अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष में अप्रार्थी सं. 1 की ओर से विधिवत रूप से पट्टा जारी होने से प्रार्थी को किसी भी स्तर पर कोई अनुतोष प्राप्त नहीं हुआ। इसके पश्चात यह निगरानी प्रार्थना–पत्र बिना किसी आधार पर इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया हैं, जिसमें न्यायालय द्वारा तलब की गई मौका रिपोर्ट में ही यह स्पष्ट हो गया हैं कि अप्रार्थी सं. 2 का अपने पट्टे की भूमि पर कब्जा हैं। अप्रार्थी सं. 2 ने अप्रार्थी सं. 1के समक्षआबादी भूमि मेंआवासीय प्लॉट का पट्टा जारी कराने हेतु दिनांक 20.12.2003 को नियमानुसार आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था जिस परग्राम पंचायत कार्यालय में प्रस्ताव सं. [illegible] की पालना में मिसल सं. 34 / 2003 कायम की गई। अप्रार्थी सं. [illegible] आवेदित भूखण्ड का मौका निरीक्षण करने हेतु मौका कमेटी को आ[illegible]त किया गया। ग्राम पंचायत की ओर से गठित मौका कमेटी द्वारा दिनांक 01.01.2004 को मौका निरीक्षण कर मौका प्रतिवेदन तैयार किया। इसके पश्चात ग्राम पंचायत की आम बैठक

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bishnoi
Date: 2021.06.29 18:01:33 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)
सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

दिनांक 01.01.2004 में मौका प्रतिवेदन प्रस्तुत होने पर पंचायत द्वारा सार्वजनिक आपत्ति आमंत्रित किये जाने का 1 माह का नोटिस जारी करने का निर्णय प्रस्ताव सं. 4 में लिया गया। इस सार्वजनिक आपत्ति के नोटिस का मौतबिरान के रूबरू ग्राम पंचायत कार्यालय एवं आवदित स्थल पर प्रकाशन कर मौतबिरान के हस्ताक्षर–अंगुष्ठ निशान अंकित कराये गये। इसके पश्चात निर्धारित 1 माह की अवधि तक किसी प्रकार की आपत्ति–ऐतराज प्रस्तुत नहीं होने पर ग्राम पंचायत की बैठक दिनांक 20.04.2004 में प्रस्ताव सं. 2 के द्वारा विक्रय विलेख जारी करने का अस्थाई निर्णय लिया एवं अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष में मौके कमेटी की सिफारिश अनुसार पुराने गृहों के विनयमितीकरण के अन्तर्गत आपसी बातचीत द्वारा200 रूपये निर्धारित कर जमा करने हेतु अप्रार्थी को सूचित किया गया एवं पत्रावली आगामी बैठक में प्रस्तुत करने का आदेश पीठासीन सरपंच, ग्राम पंचायत द्वारा जारी किया गया। इस पर अप्रार्थी सं. 2 ने आगामी पंचायत बैठक दिनांक 15.05.2004 को स्वंय उपस्थित होकर निर्धारित 200.00 रूप्ये जमा किये जाने पर नियमानुसार आलौच्य पट्टा विधि सम्मत नियमों की पालना करते हुए जारी किया है।अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष मे जारी आलौच्य पट्टा से सम्बन्धित पत्रावली नियमानुसार संधारित की गई हैं तथा सम्पूर्ण प्रक्रिया अपनाते हुए आलौच्य पट्टा विधिसम्मत तरीके से जारी किया गया हैं। प्रार्थी ने इस प्रार्थना पत्र में ग्राम पंचायत की कार्यवाही में किसी प्रकार की अनियमितता, अवैधता अथवा अपूर्णता के तथ्य को प्रकट नहीं किया हैं। प्रार्थी ने यह निगरानी प्रार्थना पत्र गलत, निराधार एवं विधि विरूद्ध तरीके से महज अप्रार्थी सं. 2 को हैरान व परेशान करने की गरज से प्रस्तुत किया है जो मय खर्चा खारिज फरमाया जावें।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभय पक्ष को सुना। प्रार्थी के अधिवक्ता का कथन हैं कि विवादित भूमि नमकीन ओरण पर की भूमि पर अप्रार्थी सं. 2 ने गलत पट्टा जारी कर दिया हैं जबकि अप्रार्थी सं. 2 के भूखण्ड के मौके की स्थिति की रिपोर्ट विकास अधिकारी, पंचायत समिति गिड़ा से प्राप्त की गईजिसमें अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष में जारी पट्टा में

न्यायालय अमर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)
अपर कलक्टर बाड़मेर (ए.डी.एम.)
Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bishnoi
Date: 2021.06.29 18:01:33 IST
Reason: SelfAttested

उल्लेखित भूखण्ड के नाप व पडौस मेल खाते हैं। जहां तक प्रार्थी का कथन हैं कि अप्रार्थी सं. 2 ने ओरण की भूमि पर पट्टा जारी करवाया हैं तो इस संबंध में अप्रार्थी के विरूद्ध तहसीलदार द्वारा विधिसम्मत कार्यवाही संस्थित की जा सकती हैं किन्तु प्रार्थी की ओर से ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। हस्तगत प्रकरण में ग्राम पंचायत खोखसर द्वारा कायम की गई पत्रावली के अवलोकन से सम्पूर्ण कार्यवाही विधिवत होना पाया जाता हैं। इसके अलावा भी राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम की धारा 97 के तहत प्रस्तुत इस निगरानी प्रार्थना पत्र का स्कोप सीमित हैं जिसमें ग्राम पंचायत की कार्यवाही का परीक्षण कर उसकी सत्यता, वैधता एवं पूर्णता के पहलु पर निश्चय किया जाना हैं। ग्राम पंचायत खोखसर से आलौच्य पट्टा से सम्बन्धित प्राप्त पत्रावली में नियमानुसार प्रक्रिया का पालन किया जाना पाया जाता हैं, साथ ही प्रार्थी ने ग्राम पंचायत की किसी कार्यवाही अथवा प्रक्रिया को आक्षेपित नहीं किया गया हैं। ऐसे में प्रार्थी का यह निगरानी प्रार्थना पत्र धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम में यथाविहित अनियमितता, अपूर्णता एवं अवैधता की कसौटी पर प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन एवं परीक्षण उपरांत स्वीकार योग्य प्रतीत नहीं होता हैं।

5. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रार्थी का यह निगरानीप्रार्थना पत्र जांच एवं परीक्षण उपरांत स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज किया जाता हैं।

6. निर्णय आज दिनांक 22.02.2021 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(ओमप्रकाश बिश्नोई)
अपर जिला कलक्टर,
बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Bishnoi
Date: 2021.06.29 18:01:33 IST
Reason: SelfAttested

अपर कलक्टर बाड़मेर (ए.डी.एम.)